

27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपर।
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने में
पर्याप्त अवसर दिए बावजूद पेश नहीं किये,
अतः वादी का वाद Non-Complain (अपालना)
में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसम
शुमार होकर वाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

